



Neutral Citation No. 2026: AHC: 45126

ए.एफ.आर.

आरक्षित दिनांक :- 23 फरवरी, 2026

निर्णय प्रदत्त दिनांक :- 27 फरवरी, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 13237 सन् 2025

प्रबंधन समिति, नवाब सिंह चौहान

ग्रामोदय इंटर कॉलेज एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : शिवेंदु ओझा, स्नेह पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : बच्चू लाल यादव, सी.एस.सी., वाहिद जमाल

न्यायालय सं. - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. यह रिट याचिका नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इंटर कॉलेज, अलीगढ़ की प्रबंधन समिति द्वारा उसके प्रबंधक (श्रीमती निहारिका चौहान) के माध्यम से दायर की गई है, जबकि प्रत्यर्थी-4 (रवींद्र सिंह चौहान) ने भी दावा किया है कि वह उक्त प्रबंधन समिति के निर्वाचित प्रबंधक थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 42499/2023 में पारित निर्देश के विरुद्ध दायर किया गया है जिसका निर्णय याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका सं. 12426/2022 में दिनांक 16.07.2024 को पारित निर्णय द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ और निर्देश पारित किए गए थे:

“उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि किसी संस्था की प्रबंधन समिति और उसके पदाधिकारियों के चुनाव प्रशासन योजना के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए। प्रशासन योजना में निर्धारित नियमों का उल्लंघन चुनावों को अमान्य कर देगा और प्रशासन योजना के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किसी भी चुनाव को डीआईओएस या क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव दिनांक 21.11.2008 के सरकारी आदेश के अनुसार नहीं कराए गए थे। अधिनियम, 1921 की धारा 16-ए(7) के तहत, शैक्षिक प्राधिकारियों को “जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय स्तर की समिति, संयुक्त निदेशक या कोई अन्य प्राधिकरण” केवल इस प्रश्न की जाँच कर सकते हैं कि क्या संबंधित पक्ष द्वारा आयोजित चुनाव प्रशासन योजना के अनुरूप थे। धारा 16-ए(7) के अंतर्गत पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी दावों से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय करते समय शैक्षणिक प्राधिकरण प्रशासन योजना के प्रावधानों से आगे नहीं जा सकते। परिणामस्वरूप, जहाँ संस्था की प्रशासन योजना में संस्था की आम सभा का प्रावधान है जो मूल संस्था, अर्थात् संस्था का संचालन करने वाली संस्था की आम सभा से भिन्न है, और संस्था की आम सभा प्रबंधन समिति और संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल नहीं है, वहाँ चुनाव को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि चुनाव अधिनियम, 1860 की धारा 4-बी के अंतर्गत पंजीकृत न कराई गई सूची के आधार पर आयोजित किए गए थे।

वर्तमान मामले में, कॉलेज की प्रशासनिक योजना को आगरा के क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रत्यर्थागण का यह कहना नहीं है कि निदेशक द्वारा धारा 16-बी या धारा 16-सीसीसी के तहत कॉलेज के संबंध में कोई कार्रवाई की गई थी या कोई नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 21.11.2008 के सरकारी आदेश के प्रावधानों को कॉलेज की प्रशासनिक योजना में शामिल करने का अनुरोध किया गया हो। 21.11.2008 के सरकारी आदेश में निर्धारित प्रावधानों को कॉलेज की प्रशासनिक योजना में शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह पता चले कि निदेशक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कॉलेज को 21.11.2008 के सरकारी आदेश में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपनी प्रशासनिक योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव दिया गया था।

कॉलेज की प्रशासनिक योजना में सोसायटी की आम सभा से अलग कॉलेज की एक आम सभा का प्रावधान है। कॉलेज की प्रशासनिक योजना या सोसायटी के उपनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सोसायटी की आम सभा के सदस्य स्वतः ही कॉलेज की आम सभा के सदस्य भी होंगे या सोसायटी की आम सभा ही कॉलेज की आम सभा होगी। कॉलेज की प्रशासनिक योजना के अनुसार, कॉलेज की आम सभा का सदस्य बनने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कॉलेज के नाम पर जारी किए गए चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवश्यक शुल्क, कॉलेज की आम सभा के किसी सदस्य द्वारा अनुशंसित आवेदन के साथ जमा करना होगा और इसे कॉलेज के कोषाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रबंधक के समक्ष रखा जाएगा, जो इसे प्रबंधन समिति के समक्ष रखेगा और यदि प्रबंधन समिति उक्त व्यक्ति को कॉलेज के सदस्य के रूप में नामांकित करने से इनकार करती है, तो मामला कॉलेज की आम सभा के समक्ष रखा जाएगा। प्रशासन योजना के खंड 5 में यह प्रावधान है कि यदि कॉलेज की आम सभा आवेदक को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत होती है, तो आवेदक को उसके द्वारा चेक या बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि से सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। प्रशासन योजना के खंड 5 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कॉलेज की आम सभा को ही कॉलेज और सोसायटी की आम सभा के सदस्य के रूप में किसी भी आवेदक के प्रवेश पर निर्णय लेने का अधिकार है। “इसकी आम सभा या इसके शासी निकाय का” इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। कॉलेज की प्रशासनिक योजना में यह भी प्रावधान है कि कॉलेज की कार्यकारी समिति का गठन कॉलेज की आम सभा के सदस्यों में से चुनाव द्वारा किया जाएगा और चुनाव कॉलेज की आम सभा द्वारा ही कराए जाएंगे। योजना में प्रबंधन समिति या उसके पदाधिकारियों के चुनाव में संस्था की आम सभा की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक योजना के खंड 26 में यह भी प्रावधान है कि रजिस्ट्रार, फर्म, सोसायटी और चिट द्वारा पारित कोई भी आदेश न तो कॉलेज की आम सभा पर और न ही कॉलेज की कार्यकारी समिति पर लागू होगा। संक्षेप में, संस्था की आम सभा वह निर्वाचक कॉलेज नहीं है जो प्रबंधन समिति और कॉलेज के पदाधिकारियों का चुनाव करती है। अतः, प्रबंधन समिति और कॉलेज के पदाधिकारियों के चुनाव को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव उन सदस्यों की सूची के आधार पर हुए थे जो अधिनियम, 1860 की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 4-बी के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी। अधिनियम, 1860 की धारा 4-बी के अंतर्गत पंजीकृत न होने के आधार पर चुनाव को अस्वीकार करने वाला कोई भी आदेश अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के कारण अमान्य होगा। परिणामस्वरूप, अधिनियम, 1860 की धारा 4-बी के अंतर्गत पंजीकृत सूची के आधार पर आयोजित कोई भी चुनाव, जिसमें कॉलेज की आम सभा के उन सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है जो सोसायटी की आम सभा के सदस्य नहीं थे, प्रशासन योजना के विपरीत और अमान्य होगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा गठित और डीआईओएस द्वारा दिनांक 15.12.2021 के आदेश के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर की समिति को संदर्भित कॉलेज की प्रबंधन समिति के चुनाव को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि चुनाव उन सदस्यों की सूची के आधार पर हुए थे जो अधिनियम, 1860 की धारा 4-बी के तहत पंजीकृत नहीं थी। क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा दिनांक 29.3.2022 को पारित निर्णय/आदेश, जिसमें याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा उपरोक्त आधार पर आयोजित चुनावों को अस्वीकार किया गया है, विधि के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.3.2022 को संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा पारित आदेश, जिसमें कॉलेज में एक अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई है, भी इसी कारण से विधि के विरुद्ध है। कॉलेज में अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। यह भी धारित किया जाता है कि प्रबंधन समिति और कॉलेज के पदाधिकारियों के चुनाव अधिनियम, 1860 की धारा 4-बी के तहत पंजीकृत सूची के आधार पर नहीं कराए जा सकते थे और ऐसा चुनाव अमान्य होगा क्योंकि यह प्रशासन योजना के विपरीत होगा। उक्त कारणों से, दिनांक 10.9.2023 को हुए चुनाव अमान्य और विधि के विरुद्ध थे।

इस प्रकार, अलीगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.9.2023 को पारित आदेश, जिसमें दिनांक 10.9.2023 को हुए चुनावों को मान्यता दी गई है और जिसमें प्रत्यर्थी सं. 4 को संस्था की प्रबंधन समिति का प्रबंधक चुना गया है, वह भी कानून के विपरीत है।

उपरोक्त कारणों से, दिनांक 29.3.2022, 30.3.2022 और 14.9.2023 के आदेश कानून के विपरीत हैं और इन्हें निरस्त किया जाता है।

मामले को क्षेत्रीय स्तरीय समिति, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ यानी प्रत्यर्थी सं. 2 को पुनः भेजा जाता है ताकि याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा आयोजित प्रतिद्वंद्वी चुनावों से संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवाद का निर्णय किया जा सके, जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 15.12.2021 द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार पुनः संदर्भित किया था। क्षेत्रीय स्तरीय समिति और जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ द्वारा आज से दो माह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित किए जाएंगे और क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्रीय स्तरीय समिति और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर उचित आदेश पारित किए जाएं।

क्षेत्रीय स्तरीय समिति के निर्णय तक, कॉलेज का प्रबंधन संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ द्वारा नियुक्त अधिकृत नियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा दस दिनों के भीतर आवश्यक अनुपालन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ को भेजी जाए।”

3. उपरोक्त परिस्थितियों में, क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा दिनांक 29.03.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें यह माना गया कि किसी भी दल द्वारा कराया गया चुनाव 284 सदस्यों की वैध सूची के अनुसार नहीं कराया गया था। यह भी निर्देश दिया गया कि दिनांक 26.06.2012 की सूची, जिस पर पहले निर्विवाद चुनाव कराया गया था, वैध सूची होगी और इस बीच मृत सदस्यों के नाम हटाकर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। संदर्भ के लिए, आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

“विवेचना (Analysis)

मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 में सम्बन्धित पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिकथनों उत्तर/प्रत्युत्तर एवं प्रत्युत्तर के जवाबों तथा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की विवेचना की गयी। विवेचना में निम्न तथ्य उभरकर सामने आये।

1- ग्राम शिक्षा समिति कासिमपुर अलीगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-21 सन् 1860 के तहत एक पंजीकृत संस्था है, जिसका पंजीकरण दिनांक 19.07.1982 को पंजीकरण संख्या 4291/1982-83 पत्रावली सं. बी-1278 पर हुआ। उक्त का नवीनीकरण दिनांक 26.10.2020 को दिनांक 16.07.2024 से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य है। उक्त संस्था का नवीनीकरण श्री रवेन्द्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सिंह चौहान प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर कराया गया है एवं संस्था प्रबन्ध समिति में वर्ष 2002 से श्री रवेन्द्र सिंह चौहान अनवरत प्रबन्धक रहे हैं. जो उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स आगरा से पंजीकृत मान्य है। उक्त पंजीकृत संस्था द्वारा नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इण्टर कॉलेज कासिमपुर पावर हाउस अलीगढ़ संचालित है। उक्त साधारण सभा के सदस्य प्रशासन योजना में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है। विद्यालय साधारण सभा के सदस्य उसी नाम पते से संस्था सोसाइटी साधारण सभा के सदस्य है. सोसाइटी साधारण सभा के सदस्य सोसाइटी नियमावली के अनुसार बने हैं। विद्यालय एव सोसाइटी की साधारण सभा में उसी नाम पते के व्यक्ति पाये गये। विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव विद्यालय की अनुमोदित प्रशासन योजना के अन्तर्गत साधारण सभा के सदस्यों से तथा संस्था सोसाइटी का चुनाव सोसाइटी नियमावली के अन्तर्गत साधारण सभा के सदस्यों से सम्पन्न होना पाया गया। विद्यालय प्रबन्ध समिति में वर्ष 2002 से दिनांक 24.06.2012 तक श्री रवेन्द्र सिंह चौहान प्रबन्धक रहे हैं।

2- उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति का पिछला निर्विवादित चुनाव दिनांक 25.06.2012 को सम्पन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री महेन्द्र सिंह चौहान तथा प्रबन्धक पद पर श्री विपिन कुमार चौहान निर्वाचित हुए। प्रशासन योजना में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पांच वर्ष है।

3- प्रबन्ध समिति का अगला चुनाव कार्यकाल समाप्ति से 6 माह पूर्व दिनांक 02.01.2017 को प्रबन्ध समिति का चुनाव श्री जगदीश सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न होना दर्शाया गया जबकि आउटगोइंग प्रबन्ध समिति के निर्वाचित अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह चौहान थे तब श्री जगदीश सिंह चौहान द्वारा चुनाव हेतु साधारण सभा की अध्यक्षता प्रशासन योजना के प्रावधानों के विपरीत और अनियमित पायी गयी। इस सम्बन्ध में प्रकरण में बार बार की गयी सुनवाई के समय अभिकथनों प्रत्युत्तरों एवं प्रत्युत्तरों के जवाब में याची श्रीमती निहारिका चौहान द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया जा सका। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2017 में प्रबन्ध समिति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से 06 माह पूर्व गोपनीय रूप से दर्शाया गया।

4- याची पक्ष द्वारा कराये गये चुनाव में प्रयुक्त साधारण सभा की सूची में श्री रवेन्द्र सिंह चौहान, श्री महेन्द्र सिंह चौहान व श्री लाखन सिंह आदि ऐसे अनेक सदस्यों के नाम अंकित नहीं है, जो वर्ष 2012 तक वैध आजीवन सदस्य रहे हैं। उक्त सन्दर्भ में याची पक्ष द्वारा प्रयुक्त साधारण सभा की सूची का गहन परीक्षण करने पर पाया गया है कि जो वर्ष 2012 तक के चुनावों में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मान्य एवं वैध सदस्यता सूची थी में से 40 आजीवन सदस्यों को हटाकर तथा 63 नये सदस्य जोड़कर तैयार की गयी सदस्यता सूची वर्ष 2017 एवं 2021 के चुनाव में प्रयुक्त की गयी है, जो बिना किसी विधिवत कार्यवाही के मनमाने तरीके से नये 63 सदस्य जोड़कर तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

साधारण सभा के उन सदस्यों के नाम जो वर्ष 2012 तक के निर्विवादित चुनावों में प्रयुक्त साधारण सभा की सूची से प्रथक किये गये है।

सूची क्रमांक	सदस्य का नाम	सूची क्रमांक	सदस्य का नाम	सूची क्रमांक	सदस्य का नाम
4	श्री कैलाश चन्द्र सिंघल	5	श्री उदय भान सिंह राना	8	श्री नेत्रपाल सिंह चौहान
13	श्री कृष्ण कुमार सिंह तोमर	15	श्री महाबीर सिंह	27	श्री महाराज सिंह राघव
33	श्री दुष्यंत सिंह राठौर	35	श्रीमती प्रकाश कुमारी	44	श्री डी.पी. सिंह
46	श्री विनय कुमार सिंह तोमर	52	श्री सुखपाल सिंह छोकर	53	श्री बृजभान सिंह तोमर
57	श्री मिथलेश सिंह	60	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	62	श्री नगेन्द्र सिंह चौहान
63	श्री प्रमोद कुमार	64	श्री विजेन्द्र गालिफ	71	श्री प्रताप सिंह चौहान
75	श्री सुभाष चौहान	76	श्री रवेन्द्र सिंह चौहान	82	श्री सुरेश चौहान
85	डॉ. महेन्द्र सिंह चौहान	86	डॉ. वीरेश चौहान	87	डॉ. हरीश चंद्र शर्मा
97	श्रीमती मीरा देवी	108	डॉ. राज कुमार सिंह	123	डॉ. मुकेश कुमार सिंह
124	डॉ. प्रमोद कुमार सिंह	125	डॉ. मनोज कुमार शर्मा	126	डॉ. ललित कुमार
127	डॉ. हरपाल सिंह	159	डॉ. पुष्पेंद्र सिंह	219	डॉ. धीरज सिंह तोमर
231	डॉ. उपदेश प्रताप सिंह	240	डॉ. लखन सिंह तोमर	245	डॉ. प्रेम सिंह
247	श्रीमती प्रवेश	266	श्रीमती रिकी कुमारी	267	श्रीमती नीतू कुमारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



274	श्री सूर्यकांत				
-----	----------------	--	--	--	--

साधारण सभा के उन सदस्यों के नाम जो वर्ष 2017 एवं 2021 के चुनाव में बढ़ाए गए हैं।

सूची क्रमांक	सदस्य का नाम	सूची क्रमांक	सदस्य का नाम	सूची क्रमांक	सदस्य का नाम
6	मिस्टर योगेश सिंह राघव	49	मिसेज नीतू रानी	50	मिस्टर महिपाल सिंह
109	मिसेज कुसुमलता देवी	249	मिस्टर लक्ष्मण सिंह	250	मिसेज कमलेश देवी
251	मिस्टर राजेंद्र सिंह	252	मिस्टर ऋषिपाल सिंह	253	मिस्टर श्री कृष्ण
254	मिसेज धर्मवती	255	मिस्टर अमित कुमार	256	मिस्टर विजलू कुमार
257	मिसेज संजयरानी	258	मिस्टर रोहित कुमार	259	मिस्टर मुख्तियार सिंह
260	मिसेज रूपवती देवी	261	मिस्टर स्वातिजीत सिंह	262	डॉ. परमजीत सिंह
263	डॉ. इनरिव सिंह	264	श्रीमती मचला देवी	265	डॉ. धीरज कुमार
266	सुश्री शीतल	267	डॉ. गोविंद राव	268	श्रीमती लक्ष्मी
269	डॉ. राजवीर सिंह	270	श्रीमती सुमन	271	श्रीमती मोनिका
272	डॉ. संजीव आनंद	273	श्रीमती दवन आनंद	274	डॉ. दिव्येन चौधरी
275	श्रीमती रणशम चौधरी	276	डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह	277	डॉ. चमन चौधरी
278	डॉ. नृपेंद्र सिंह	279	श्रीमती अंजू	280	डॉ. अजय कुमार
281	डॉ. अन्नू कुमार	282	डी. गोपाल	283	श्रीमती सुमन देवी
284	श्री हरीश कुमार	285	श्रीमती मंजू देवी	286	श्रीमती मीरा चौहान
287	श्री प्रवीण चौहान	288	सुश्री पुलकता चौहान	289	सुश्री ऋषि
290	श्री मनोज सागर	291	श्री संजय सागर	292	श्री विनोद
293	श्री प्रमोद कुमार	294	श्रीमती रेखा देवी	295	श्री प्रेम कुमार
296	श्रीमती हेसमुखी	297	श्री राजेश कुमार	298	श्री राजेश कुमार
299	श्रीमती कृष्णा कुमारी	300	श्री गौरव कुमार	301	श्री मयंक चतुर्वेदी
302	श्री रवि अग्रवाल	303	श्री जुर्जेन्द्र सिंह	304	श्री धीरेंद्र भसीन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



305	श्री अनिल कुमार चौहान	306	श्री सुरेश चंद्र वर्मा	307	श्रीमती सुधा चौहान
-----	-----------------------	-----	------------------------	-----	--------------------

5- याची श्रीमती निहारिका चौहान, दावेदार प्रबन्धक वाली प्रबन्ध समिति के चुनाव में प्रयुक्त साधारण सभा की सूची में वर्ष 2012 तक के निर्विवादित चुनावों में प्रयुक्त वैध एवं आजीवन सदस्यों के नाम पृथक करने और नये सदस्यों के नाम जोड़ने के सम्बन्ध में याची श्रीमती निहारिका चौहान द्वारा कोई भी साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके। इस प्रकार याची पक्ष द्वारा वर्ष 2012 तक के निर्विवादित चुनावों में प्रयुक्त वैध एवं आजीवन सदस्यों की साधारण सभा की सूची से मनमाने तरीके से बिना किसी प्रस्ताव/कार्यवाही के विवाद पैदा किया गया है। यहां तक कि याची का नाम वर्ष 2012 तक की वैध सदस्यता सूची में सूची क्रमांक 102 पर श्रीमती आशा कुमारी पत्नी श्री विपिन कुमार, ग्राम व पोस्ट साथा, अलीगढ़ अंकित है, को याची पक्ष वाले चुनाव में प्रयुक्त सदस्यता सूची में क्रमांक 80 पर नाम बदलकर श्रीमती निहारिका चौहान उर्फ आशा पत्नी श्री विपिन चौहान ग्राम व पोस्ट साथा, अलीगढ़ अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार याची पक्ष द्वारा वैध सदस्यता सूची से अपने नाम में ही फेरबदल किया गया है। याची श्रीमती निहारिका चौहान दावेदार प्रबन्धक वाले पक्ष के चुनाव में वर्ष 2012 की सूची से 40 आजीवन सदस्यों के नाम हटाकर तथा 63 नये सदस्यों के नाम बिना किसी प्रस्ताव आदि कार्यवाही के जोड़कर 286 सदस्यों की सूची प्रयुक्त की गयी है।

6- याची श्रीमती निहारिका चौहान से सदस्य बनने की रसीद व उक्त से सम्बन्धित अभिलेख मांगने पर प्रत्युत्तर दिनांक 02.01.2025 बिन्दु संख्या 3 में 36 से 40 व 41 से 44 संलग्नक सदस्यता रसीदों का उल्लेख रसीद क्रमांक 102, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 120, 123 बुक संख्या 2 दिनांक 02.01.1996 एवं रसीद संख्या 180, 168, 171, 159, 160, 153, 154 बुक संख्या 2 दिनांक 10.05.1997 छायाप्रति संलग्न की गयी। उक्त रसीदें धनराशि 500 व 1000 रुपये की दर्शायी गयी। किन्तु उक्त से सम्बन्धित मूल अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर, सदस्यता जमा का कोई भी अभिलेख सुनवाई के समय मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

7- श्री रवेन्द्र सिंह चौहान वर्ष 2012 तक विद्यालय की प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक रहे हैं और श्री रवेन्द्र सिंह चौहान सचिव/मंत्री वाले पक्ष का सोसाइटी समिति पर अद्यतन प्रभावी नियंत्रक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बना हुआ है, श्री विपिन कुमार चौहान वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक एवं वर्ष 2017 से नवम्बर 2021 तक विद्यालय की प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक रहे हैं। वर्ष 2012 में विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव दिनांक 25.06.2012 निर्विवादित सदस्यता सूची से सम्पन्न हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री महेन्द्र सिंह चौहान तथा प्रबन्धक पद पर श्री विपिन कुमार चौहान निर्वाचित हुये थे। उक्त चुनाव में प्रयुक्त सदस्यता सूची में 284 सदस्य अंकित पाये गये हैं। सुनवाई के समय श्री रवेन्द्र सिंह चौहान द्वारा कार्यालय में अवलोकित कराये गये मूल अभिलेखों के परीक्षण करने पर पाया गया है कि वर्ष 2012 के चुनाव में प्रयुक्त साधारण सभा की सूची में अंकित सदस्यों को रुपये 500.00 की सदस्यता रसीदे निर्गत की गयी है और उनसे प्राप्त धनराशि सम्बन्धित बैंक में जमा की गयी है साथ ही मूल एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर सदस्यता रजिस्टर आदि अभिलेखानुसार 284 सदस्य सही पाये गये हैं। उसी निर्विवादित सदस्यता सूची से वर्ष 2012 में श्री विपिन कुमार चौहान, प्रबन्धक वाली प्रबन्ध समिति का चुनाव सम्पन्न हुआ है। उक्त चुनाव को मान्यता प्रदान करने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ द्वारा निर्वाचित प्रबन्धक श्री विपिन कुमार चौहान के हस्ताक्षर प्रबन्धक के रूप में प्रमाणित किये गये।

8- श्री रवेन्द्र सिंह चौहान विद्यालय की प्रबन्ध समिति में वर्ष 2012 के बाद प्रबन्धक नहीं रहे हैं और श्री रवेन्द्रसिंह चौहान वाले पक्ष द्वारा साधारण सभा के जो सदस्य बना लिये गये और इनके द्वारा चुनाव में साधारणसभा के 514 सदस्यों की सदस्यता सूची प्रयुक्त की गयी है। अभिलेखों के परीक्षण करने पर पाया गया है कि श्री रवेन्द्र सिंह चौहान द्वारा उक्त अवधि में सोसाइटी के सचिव/मंत्री के रूप में उक्त सदस्य बनाये गये है और वही सदस्यता सूची धारा 4 बी में उप निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स फण्ड, आगरा कार्यालय से पंजीकृत करायी गयी है। इस प्रकार श्री रवेन्द्र सिंह चौहान, दावेदार प्रबन्धक के चुनाव में प्रयुक्त सदस्यता सूची विद्यालय की साधारण सभा की सदस्यता सूची नहीं है, वह सूची केवल सोसाइटी समिति की साधारण सभा की सूची है, जो प्रशासन योजना में वर्णित व्यवस्थानानुसार विद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव में मान्य नहीं है।

9- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश में उल्लिखित है कि विद्यालय की साधारण सभा के आधार पर ही चुनाव की वैधता का निर्धारित किया जायेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10- कार्यालय पत्रांक: मा०-1/प्र०स०/7735/2024-25 दिनांक 03.03.2025 द्वारा जि०वि०नि०, अलीगढ़ को तथा पत्रांक: मा०-1/प्र०स०/7752/2024-25 दिनांक 06.03.2025 एवं पत्रांक: मा०-1/प्र०स०/7816/2024-25 दिनांक 10.03.2025 याची श्रीमती निहारिका चौहान को वर्ष 2012 के चुनाव में प्रयुक्त निर्विवादित साधारण सभा की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। याची श्रीमती निहारिका चौहान के पत्र दिनांक 17.03.2025 द्वारा प्रबन्ध समिति के चुनाव दिनांक 25.06.2012 को विवादित बताया गया है। कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध वर्ष 2012 के चुनाव पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया है कि श्री विपिन कुमार चौहान, निर्वाचित प्रबन्धक द्वारा अपनी चुनाव के समय वर्ष 2012 के चुनाव में प्रयुक्त साधारण सभा की वही सूची जिस पर चुनाव अधिकारी, प्रबन्धक, मंत्री के हस्ताक्षर अंकित है, की छायाप्रति सुनवाई के दौरान कार्यालय में प्राप्त करायी गयी है। उक्त सदस्यता सूची में 284 सदस्य अंकित है, जो निर्विवादित आजीवन सदस्य पाये गये हैं और प्रशासन योजना में वर्णित व्यवस्थानुसार वर्ष 2012 में प्रयुक्त सदस्यता शुल्क की धनराशि रु० 500.00 अंकित है।

11- वर्ष 2012 में श्री विपिन कुमार चौहान, प्रबन्धक एवं श्री रवेन्द्र सिंह चौहान, मंत्री द्वारा दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र की छायाप्रति में कार्यालय में प्रस्तुत की गयी थी, में 284 सदस्यों की सूची सूचना पट पर विद्यालय में 30.03.2012 को चस्पा करने एवं सदस्यों को सूचना दिये जाने की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय की साधारण सभा के 284 सदस्यों की सूची वैध एवं सही है।

- निष्कर्ष -

उपरोक्त विवेचना से निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति के उक्त दोनों ही चुनावों में प्रयुक्त साधारण सभा की सदस्यता सूची अनियमित एवं अवैध पायी गयी है। इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा कराये गये प्रबन्ध समिति के चुनाव मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं और दिनांक 25.06.2012 के चुनाव में प्रयुक्त साधारण सभा की निर्विवादित सदस्यता सूची, जिसमें 284 सदस्य अंकित पाये गये हैं, में से अद्यतन मूल सदस्यों को जोड़कर निस्तारित सदस्यता सूची से पुनः चुनाव कराना विधिसंगत है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



-निर्णय-

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयानुसार नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इण्टर कालेज, कासिमपुर पावर हाउस (अलीगढ़) की समानान्तर प्रबन्ध समितियों के चुनाव दिनांक 28.11.2021 एवं 05.12.2021 को निरस्त करते हुये विद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव दिनांक 25.06.2012 में प्रयुक्त निर्विवादित साधारण सभा की सदस्यता सूची से पुनः चुनाव कराये जाने का निर्णय लेते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाता है और संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रबन्ध समिति के चुनाव दिनांक 25.06.2012 में प्रयुक्त साधारण सभा की सूची जिसमें 284 सदस्य अंकित पाये गये हैं. में से मृत सदस्यों को हटाकर अन्तिम सदस्यता सूची तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ की देख रेख में प्रशासन योजना में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव तत्काल सम्पन्न करायें।"

4. वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उपरोक्त आदेश के आधार पर दिनांक 11.05.2025 को नए सिरे से चुनाव कराए गए और श्री महेंद्र नाथ चौहान अध्यक्ष तथा श्री रवींद्र चौहान प्रबंधक निर्वाचित हुए। इस चुनाव को संबंधित डी.आई.ओ.एस. ने 16.05.2025 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया। उक्त आदेश को संशोधन आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया और बाद में एक संशोधित रिट याचिका भी दायर की गई।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा और उनके सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र ओझा ने दलील प्रस्तुत किया कि वर्ष 2017 (02.01.2017) में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें आम सभा के 207 सदस्यों ने भाग लिया था। वर्ष 2017 के चुनाव को अलीगढ़ के शिक्षा विभाग के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 18.01.2017 के आदेश द्वारा और अलीगढ़ के संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 04.06.2018 के आदेश द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था, जिसके बाद इसे चुनौती दी गई थी। हालांकि यह बात स्वीकार की गई कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण सदस्यता विवाद का निर्णय मेरिट के आधार पर नहीं किया। इसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

"निष्कर्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री विपिन कुमार चौहान नव निर्वाचित प्रबन्धक वाली प्रबन्ध समिति का चुनाव दिनांक 02.01.2017, जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्य किया गया है, प्रशासन योजना में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप है। परन्तु संस्था की अनुमोदित प्रशासन योजना के नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत बनावटी सदस्यता से चुनाव कराये जाने विषयक शिकायत के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के किसी सक्षम अधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। प्रकरण में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 डी के अनुरूप संस्था में प्राधिकृत नियंत्रक को संस्तुति किये जाने का कोई भी कारण विद्यमान नहीं है।

निर्णय

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शिकायत कर्ताओं की सदस्यता विषयक शिकायतों को क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रकरण को अस्वीकार करते हुए एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।"

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि 60 नए सदस्यों को 500 रुपये का आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद शामिल किया गया और कुल 30,000 रुपये की राशि 30.04.2016 को बैंक खाते में जमा की गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि 40 पूर्व सदस्यों के नाम हटा दिए गए क्योंकि या तो उनकी मृत्यु हो गई थी या वे लंबे समय से बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे, हालांकि इस बात के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे एवं उनके सहयोगी श्री वाहिद जमाल ने दलील प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने मुकदमे की पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि सदस्यता विवाद के मुद्दे पर क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा विचार किया जाए और चूंकि वह आदेश अंतिम हो चुका है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर की समिति ने सदस्यता विवाद पर विचार करने में कोई अवैधता नहीं की है।

8. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि क्षेत्रीय स्तर की समिति ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किया और पाया कि नए सदस्यों की नियुक्ति गलत थी और पूर्व सदस्यों को हटाना भी बिना किसी कारण के था। उक्त निष्कर्षों का खंडन करने वाला कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. मुकदमेबाजी के पिछले दौर में, इस न्यायालय ने क्षेत्रीय स्तर की समिति को विवाद पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं और अन्य को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आक्षेपित आदेश पारित किया गया था जिसमें यह माना गया था कि 63 नए सदस्यों का प्रवेश और साथ ही 40 पूर्व सदस्यों को हटाना अनुमोदित प्रशासन योजना के प्रावधानों के विरुद्ध था।

10. आक्षेपित आदेश में यह भी कहा गया था कि समिति के पास वर्ष 2017 में कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने का कोई कारण नहीं था और विभिन्न अवसरों के बावजूद, याचिकाकर्ता-2 श्रीमती निहारिका चौहान, प्रबंधक ने कोई जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में चुनाव को पहले कराने का निर्णय लिया गया था।

11. यह भी माना गया कि 63 नए सदस्यों के प्रवेश के समर्थन में प्रबंधक कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों और अब रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों पर विचार किया है।

13. पहला दस्तावेज 30.04.2016 की कार्यवाही का कार्यवृत्त है, जिसके अनुसार 63 नए सदस्यों को शामिल किया गया और कुछ सदस्यों को, जो या तो मर चुके थे या पिछले कई वर्षों से बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे, हटा दिया गया।

14. मैंने प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि नए सदस्यों के प्रवेश की प्रक्रिया का पालन किया गया प्रतीत होता है, हालांकि, यह उल्लेख करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 40 सदस्यों की मृत्यु हो गई है और कुछ सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी क्योंकि अध्यक्ष अनुपस्थित थे, हालांकि यह रिकॉर्ड में नहीं है कि उपाध्यक्ष को कोई पूर्व सूचना दी गई थी या समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी।

15. दूसरा दस्तावेज 08.05.2016 को हुई बैठक का कार्यवृत्त है, जिसमें श्री महेंद्र सिंह चौहान, अध्यक्ष, रविंद्र सिंह चौहान, सचिव और लखन सिंह, सदस्य को उनके असामाजिक और बुरे आचरण के आधार पर हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. इस संबंध में, न्यायालय ने अनुमोदित प्रशासनिक योजना के खंड-IV पर ध्यान दिया है कि किसी भी सदस्य को सदस्यता से हटाया जा सकता है यदि वह असामाजिक आचरण से संबंधित किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, हालांकि, इसके लिए यह घोषणा आवश्यक है कि वह दोषी पाया गया है और ऐसी घोषणा दिनांक 8.05.2016 के प्रस्ताव में नहीं है सिवाय इस बात के वे असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे, हालांकि न्यायालय का मानना है कि यदि आरोप गंभीर हैं, तो आम सभा किसी भी सदस्य को सदस्यता से हटाने का निर्णय ले सकती है, हालांकि प्रस्ताव में यह दर्ज नहीं है कि उक्त सदस्यों को नोटिस दिया गया था या उनका पक्ष लिया गया था और उस पर विचार किया गया था।

17. तीसरा दस्तावेज दिनांक 29.05.2016 का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा यह संकल्प लिया गया कि कार्यकाल समाप्त होने से बहुत पहले चुनाव आयोजित किए जाएं, क्योंकि 3 पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और वे सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रबंधन समिति का काम बाधित हो रहा है।

18. इस संबंध में, न्यायालय ने स्वीकृत प्रशासनिक योजना के उन प्रावधानों पर ध्यान दिया है जिनमें कहा गया है कि चुनाव की अवधि 5 वर्ष है और उसके एक महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, अन्यथा समिति समय-बाधित घोषित कर दी जाएगी। समय से पहले चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी न्यायालय ने यह ध्यान में रखा है कि यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों तो समय से पहले चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन यह बहुत विशिष्ट होना चाहिए।

19. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आक्षेपित आदेश मुख्य रूप से इस आधार पर पारित किया गया था कि उपर्युक्त दस्तावेज विभिन्न अवसर दिए जाने के बावजूद संबंधित प्रत्यर्थीगण के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे और संबंधित प्रत्यर्थी को उपर्युक्त तीन दस्तावेजों पर विचार करने का कोई अवसर नहीं मिला था, आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

20. अब न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या इस रिट याचिका के साथ रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्रत्यर्थीगण के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर देना पर्याप्त आधार होगा, या इस न्यायालय द्वारा पिछले पैरा में प्रत्येक दस्तावेज के संदर्भ में की गई टिप्पणियों के आलोक में संदर्भित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अवसर देना आवश्यक या कानूनी रूप से अनुमेय नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. यह मूल रूप से नए सदस्यों के प्रवेश और पुराने सदस्यों को हटाने के विवाद से उत्पन्न मामला है, इसलिए न्यायालय पाता है कि उक्त उद्देश्य के लिए बैठक प्रशासन योजना के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए आयोजित की जानी चाहिए।

22. नए सदस्यों के प्रवेश के लिए बैठक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयोजित की गई, हालांकि प्रशासन की योजना के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक का संचालन कर सकता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के लिए कानूनी रूप से मान्य कारण होने चाहिए, हालांकि बैठक के कार्यवृत्त में इसका उल्लेख नहीं है, जिसमें केवल यह कहा गया है कि अध्यक्ष अनुपलब्ध थे।

23. अध्यक्ष की ओर से कोई भी संचार रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया या प्रस्ताव में नोट नहीं किया गया, इसलिए, भले ही सदस्यों के प्रवेश के लिए आगे की प्रक्रिया प्रशासन योजना के अनुसार हो, जिस तरीके से बैठक आयोजित की गई वह उचित नहीं थी।

24. न्यायालय का मत है कि लिए गए प्रस्ताव में भी इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि चालीस सदस्यों के नाम कैसे हटाए गए, सिवाय इसके कि उनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु का कोई दस्तावेजी प्रमाण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया, इसलिए न्यायालय का मत है कि जिस बैठक में साठ सदस्यों को शामिल किया गया और चालीस सदस्यों को हटाया गया, वह प्रशासन योजना के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी।

25. अगली बैठक दिनांक 08.05.2016 को आयोजित की गई, जिसमें तीन सदस्यों, अर्थात् अध्यक्ष, सचिव और एक अन्य सदस्य के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए और उन्हें आम सभा से निष्कासित कर दिया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित करने से पहले, उनके दोषी पाए जाने का कोई निष्कर्ष या ठोस सबूत होना आवश्यक होता है। हालांकि, प्रस्ताव में इस तरह की कोई घोषणा संक्षिप्त रूप में भी नहीं है, जबकि आरोप गंभीर थे कि निष्कासित सदस्य एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था। इसलिए, अध्यक्ष, सचिव और एक अन्य सदस्य को आम सभा से निष्कासित करने का तरीका भी उचित नहीं था।

26. समान परिस्थितियों में न्यायालय पाता है कि कार्यकाल की समाप्ति से लगभग छह महीने पहले चुनाव कराने का कोई कानूनी रूप से मान्य कारण नहीं है और आक्षेपित आदेश में यह टिप्पणी कि चुनाव गुप्त रूप से कराने का निर्णय लिया गया था, सारगर्भित है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए था, लेकिन निष्पक्षता का अभाव था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27. उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय पाता है कि ऊपर उल्लिखित तीनों बैठकें विधिवत आयोजित नहीं की गईं, इसलिए याचिकाकर्ता को इन दस्तावेजों को संबंधित प्रत्यर्थीगण के समक्ष रखने की अनुमति देने की न्यायालय को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और चूंकि आक्षेपित आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार नए चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, इसलिए हस्तक्षेप करने का भी कोई आधार नहीं है।

28. तदनुसार, रिट याचिका में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

27 फरवरी, 2026

एन. सिन्हा